प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 624 / 2022
अनवान : –

1. सन्तलाल उर्फ सतपाल पुत्र नथूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सरोज पुत्री नथूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. शारदा पुत्री नथूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 03.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19'56 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 67 / 63 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 6.1230 है0 भूमि में से मृतक केसर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1 / 5 हिस्सा व वादी के 287 / 20410 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी पैतृक कृषि भूमि है उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 का जन्म जात हक हिस्सा है। वादी के पिता नत्थुराम पुत्र जीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस केसर (पत्नी) व भागीरथ, सन्तलाल उर्फ सतपाल पुत्रगण नत्थुराम व शारदा, सरोज पुत्रिया नत्थुराम हुए जिसमें वादी व प्रतिवादीगण की माता केसर का स्वर्गवास हो चुका है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादिया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मृतक केसर के नाम दर्ज भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 संयुक्त रूप से काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है एवं सरोज पुत्री नथूराम के नाम दर्ज भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ब0 ब0 काबिज है जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व संशोधित दावा पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण को एतराज नही होने के कारण स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा 6 केएनएन सम्वत 2073–76 के खाता स0 67 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र केसरदेवी प्रदर्श–2, वारिसनामा प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें। तरतीबी प्रतिवादी स0 4 को वकील वादी ने तर्क किया की उनका जो भी हक हिस्सा है दिया जा रहा है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश हो चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उभयपक्षों को सुनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 67/63 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 6.1230 है0 भूमि में से मृतक केसर व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के 1/5 हिस्सा व वादी के 287/20410 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। तरतीबी प्रतिवादी स0 4 का हक हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अंतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों/शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 67/63 की कुल 6.1230 है0 भूमि में मृतक केसर पत्नी नथूराम का नाम कलमजन किया जाकर 3/4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 1/4 हिस्सा भूमि व[illegible] तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 सरोज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 624 / 2022

अनवान : –

1. सन्तलाल उर्फ सतपाल पुत्र नथूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सरोज पुत्री नथूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भागीरथ पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

4. शारदा पुत्री नथूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 624 सन 2022 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों / शपथ पत्र के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 67 / 63 की कुल 6.1230 है0 भूमि में मृतक केसर पत्नी नथूराम का नाम कलमजन किया जाकर 3 / 4 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 1 / 4 हिस्सा भूमि का तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 सरोज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 3/6/23........ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:45:35 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना